संख्या-733/2021/4004/41-2021-23(बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 24 दिसम्बर 2021**

विषय:- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज के वि0स0क्षे0-फाफामऊ हेतु श्रंगवेरपुर धाम में पार्क के निर्माण की पूर्व स्वीकृत योजना के कार्यों के स्थान पर योजना स्थल पर अन्य नवीन कार्य कराये जाने की अनुमति एवं तत्संबंध में प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0- 3759/मु0प0सं0यो0(37)/2021 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-100/2021/ 280/ 41-2021-23(बजट)/2021 दिनांक 04 फरवरी 2021 द्वारा **जनपद प्रयागराज के वि0स0क्षे0-फाफामऊ हेतु श्रंगवेरपुर धाम में पार्क के निर्माण की की परियोजना हेतु** कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल) द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष रू0-49.57 लाख की प्रशासकीय एवं रू0-24.78 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी।

3- तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के उल्लिखित पत्र दि0-12-10-21 के माध्यम से मा0 विधायक फाफामऊ श्री विक्रमाजीत मौर्या द्वारा पत्र दिनांक 10-8-21 में की गई संस्तुति के क्रम में परियोजना में मूल रूप में स्वीकृत किये गये कार्यों के स्थान पर अन्य कार्या को कराये जाने हेतु नवीन आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया है और इस परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराया गया है कि श्रंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क बनाने की योजना स्वीकृत है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिसपर कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है , अतः मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत श्रंगवेरपुर धाम में एक और छोटा पार्क बनाने की स्वीकृत योजना के अनुसार कार्य कराये जाने का औचित्य नहीं हे। इस संदर्भ में जिलाधिकारी प्रयागराज की संस्तुति भी उपलब्ध करायी गई है। परियोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत कार्यों के स्थान पर उपलब्ध कराये गये नवीन आगणन में निम्नांकित विवरणानुसार नये कार्यों को कराये जाने का प्राविधान करते हुये उनकी लागत को सम्मिलित किया गया है:-

1- **Cost of work on gate at Prayagraj –Lucknow road**
2- **Repairing of road with bitumen from Nishadraj Ghat to Main Road**
3- **Light at Sankat Mochan Mandir,Durga Mandir, and Mauni Baba Ashram**
4- **Development work on Nishadraj ghat**
5- **Development work on Charan paduka mandir**
6- **S/F of Dust Bin**
7- **construction of RCC Benches**

4- महानिदेशक पर्यटन द्वारा उपरोक्त कार्यो के संबंध में उपलब्ध कराये गये नवीन आगणन रू0-49.93 लाख का विभागीय अप्रेजल समिति से मूल्यांकन /परीक्षण कराये जाने के उपरान्त आंकलित लागत रू0-38.20 लाख संस्तुत की गई है।

5- अत: उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर-3 पर अंकित नये कार्यों को कराये जाने की अनुमति एवं तत्संबंधी आगणन रू0-49.93 लाख के सापेक्ष आंकलित लागत **रू0-38.20 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति** इस प्रतिबन्ध सहित श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि शासनादेश सं0-100/2021/280/41-2021-23(बजट)/2021 दिनांक 04 फरवरी 2021 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-24.78 लाख का उपयोग सम्प्रति प्रदान की जा रही संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के अधीन कराये जाने वाले कार्यो के लिया किया जायेगा।

6- उपरोक्त प्रस्तर-5 में प्रदान की जा रही स्वीकृति से संबंधित अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध निम्नवत लागू होंगी:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-100/2021/280/41-2021-23 (बजट)/2021 दिनांक 04 फरवरी 2021 में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं अन्य संगत प्राविधानों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं **क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ,प्रयागराज का यह उत्तरदायित्व होगा कि श्रंगवेरपुर धाम की संचालित वृहत परियोजना (फेज-1) एवं प्रस्तावित परियोजना फेज-2 में उक्त कार्यों की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति नहीं होना सुनिश्चित किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019,दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 ,शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/ 2020 दिनांक 11-4-2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231 / 2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, प्रयागराज ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- सुश्री प्रीति श्रीवास्तव उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल0), लखनऊ।
8-परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपी0सी0एल0), प्रयागराज।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
10- उप निदेशक प्रयागराज मण्डल
11- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी प्रयागराज।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in